न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2019/00053 (53/2019) 225 आरटीएक्ट

नत्थूराम पुत्र रूलीचन्द जाति ब्राम्हण निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। —अपीलाण्ट

बनाम

1. श्यामलाल } पिसराम रामजीलाल जाति ब्राम्हण निवासी जोगीवाला तहसील भादरा
2. मदनलाल } जिला हनुमानगढ़।
3. अनिल पुत्र पोकरराम जाति ब्राम्हण निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. ज्योति पुत्री पोकरराम जाति ब्राम्हण निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. रामेती पत्नी भूपसिंह जाति ब्राम्हण निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। —रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.02.2019 उपखण्ड अधिकारी भादरा प्रकरण संख्या 66/2017

श्री महेश शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1, 2, 5

निर्णय दिनांक:— 13.06.2019

1. उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 प्रार्थीगण ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 आरटीएक्ट प्रस्तुत कर चक 11 जे.जी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 110/104 की 2.9730 हैक्टेयर कृषि भूमि के मुरब्बा नं. 165 के किला नं. 25/1 की 0.038 है. बारानी खातेदारी भूमि के पश्चिमी भाग के दक्षिण और जोगीवाला लाखनवास पक्की सड़क के पश्चिम की और बनी खाला की होदी के समान्तर होदी के उत्तर की ओर पूर्व से पश्चिम 8–1/4 फुट चौड़ा व 4 फुट लम्बा गैर मुमकिन रास्ता मंजूर किये जाने का अनुतोष चाहा जो स्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय विधि विपरीत है। रेस्पोडेण्ट ने अपने खेत में कुण्ड पर जाने के लिए रास्ते की मांग की थी। पूर्व से संयुक्त खातेदारी भूमि में से आवागमन हेतु रास्ता है इसलिए रास्ते की आवश्यकता नहीं थी। मात्र अपीलाण्ट को परेशान करने की नियत से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। रेस्पोडेण्ट को खेत में जाने के लिए रास्ता है या नहीं इस बाबत तहसील ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। मात्र कुण्ड के लिए रास्ते की मांग नही की जा सकती। इसलिए अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए रास्ता की मांग की गई थी। मात्र कुण्ड के लिए रास्ता की मांग नहीं की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ते की परम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवश्यकता को देखते हुए रास्ता स्वीकृत किया है। तहसील रिपोर्ट मय नक्शा भी प्राप्त की गई है। अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज करने का कथन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु मुरबा नम्बर 165 के किला नं. 25/1 की 0.038 है. बारानी खातेदारी भूमि के पश्चिमी भाग के दक्षिण और जोगीवाला लाखनवास पक्की सड़क के पश्चिम की और बनी खाला की होदी के समान्तर होदी के उत्तर की और पूर्व से पश्चिम 8–1/4 फुट चौड़ा व 4 फुट लम्बा गैर मुमकिन रास्ता मंजूर किये जाने का अनुतोष चाहा गया था। रिपोर्ट तहसील में यह तथ्य आया है कि मुरबा नंबर 165 के किला नं. 24 में 1 बिस्वा रास्ते के रूप में रिकार्ड में अंकन है किन्तु अप्रार्थी नत्थूराम की मौके पर मुरबा नंबर 165 के किला नं. 25 में से 3 बिस्वा रोड़ में कटा हुआ है लेकिन मौके पर रोड़ किला नं. 25 के 3 बिस्वा में ही है. क्योंकि किला नं. 24 की 1 बिस्वा भूमि रोड़ में कटा हुआ है लेकिन मौके पर किला नं. 24 में रास्ता नही है अर्थात मु. नं. 165 के किला नं. 25/1 में जो रास्ते की मांग की है वह उचित है तथा रेस्पोडेण्ट को अपनी कृषि भूमि में आवागन हेतु जो विचारण न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकृत किया है वह उचित प्रतीत होता है। जहां तक मु. नं. 165 के किला नं. 24 में राजस्व रिकार्ड में सड़क दर्ज होने का प्रश्न है मौके पर रास्ता/सड़क किला नं. 24 में नही होकर केवल किला नं. 25 में ही होना स्पष्ट है। इसलिए संबंधित खातेदार मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रथक से कार्यवाही कर दुरूस्ती करवाने के लिए स्वतंत्र है, किन्तु मौके पर सड़क किला नं. 24 से दूर होने के कारण एवं सड़क के किनारे पर खाला की होदी बने होने के कारण किला नं. 25/1 में से 4 फिट × 8–1/4 फिट फिट रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित एवं आवश्यक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रास्ता स्वीकृत किया गया है वह उचित है। अधीनस्थ न्यायालय ने 8–1/4 × फिट रास्ता स्वीकृत किया है उसका क्षेत्रफल 0.00031 है. होता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 0.00063 है. गैर मुमकिन रास्ता किया है जिसे संशोधित करते हुए 0.00031 है. गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में उक्त संशोधन किया जाकर तद्नुसा स्वीकृत रास्ते की एवज में अप्रार्थी नत्थूराम को डीएलसी की दर के हिसाब से राशि गणना कर डीएलसी से दोगुना दर से राशि दिलवाई जावे एवं अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.06.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official